कोड।" यही विचार न्यायमूर्ति के. एस. तिवाना द्वारा तेजिंदर कौर बनाम बीर *सिंह, (4)* में *व्यक्त किया* गया था, जिससे हम सहमत हैं।

(5) धारा 125 को लागू करने *के लिए अनिवार्य* रूप से पति द्वारा उपेक्षा की आवश्यकता होती है। बाई ताहिरा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के महामहिम / न्यायमूर्ति के इस अवलोकन पर भरोसा करते हुए, प्रकाश के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि जसवंत कौर धारा 125 का अनिवार्य घटक को साबित करने में विफल रही हैं | प्रकाश के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का निष्कर्ष, जो संहिता की धारा 482 के तहत इस याचिका में अनुपलब्ध है, विवाद को योग्यता से रहित बनाता है ।

(6) पूर्वगामी कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है।

न्यायमूर्ति जे. *वी.* गुप्ता *के समक्ष*

अशोक कुमार, - याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र और एक अन्य,- प्रतिवादी

सिविल रविशन सं. 1912 / 1979 ।

11 अप्रैल, 1980 ।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V)-धारा 113 *और* 115 - धारा 113 के *तहत दायर आवेदन को* विचारण / निचली *न्यायालय द्वारा*

खारिज कर दिया गया -- ऐसे मामलों में उप-न्यायाधीश का निर्णय - क्या धारा 115 के तहत संशोधन में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 113 के तहत यह विचारण न्यायालय का काम है कि वह एक मामला / मुकदमा को निर्धारित करे और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए भेजे और यदि विचारण न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश आदि की वैधता के बारे में प्रश्न शामिल है तो उच्च न्यायालय धारा 115 के तहत अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय को उसे उच्च न्यायालय को भेजने का निर्देश नहीं देगा। इस प्रकार, आवेदन को खारिज करने में निचली अदालत द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार को संहिता की धारा 115 के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

(पैरा 2)

श्री बी. सी. राजपूत, *उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़, दिनांक 18 अक्टूबर, 1979 के आदेश के संशोधन* के *लिए धारा 115* सी. *पी. सी.* के *तहत याचिका, आवेदन को खारिज करना और संदर्भ देने से इनकार करना ।*

एम. आर. अग्निहोत्री, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से /
आनंद सरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता
एम. एल. बंसल, उनके साथ अधिवक्ता-प्रतिवादी *के लिए।*

निर्णय / फैसला (**न्याय)**

न्यायमूर्ति जे. वी. गुप्ता

(1) वादी-याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के 18 अक्टूबर, 1979 के

आदेश के खिलाफ यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता जेर धारा 113 के साथ पठित के आदेश 46 और धारा 151 के तहत उनका आवेदन खारिज कर दिया गया है।

(2) प्रतिवादी के माननीय अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति जताई है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 113 के तहत वादी के आवेदन को खारिज करते हुए, माननीय अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कोई भी पुनरीक्षण याचिका विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह निचली अदालत पर है कि वह मामला / मुकदमा को निर्धारित करे और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए संदर्भित करे। चूँकि विचारण न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं था कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश आदि की वैधता के बारे में प्रश्न शामिल है, इसलिए उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय को इसे उच्च न्यायालय में भेजने का निर्देश नहीं देगा । मुझे इस दावे में बल मिलता है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 113, निम्नानुसार हैः–

> "ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, कोई भी न्यायालय किसी मामले / मुकदमा को निर्धारित कर सकता है और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए संदर्भित कर सकता है, और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझेः
>
> बशर्ते कि जहां न्यायालय संतुष्ट हो कि उसके समक्ष लंबित किसी मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियमन या किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियमन में निहित किसी प्रावधान की वैधता के बारे में कोई प्रश्न शामिल है, जिसका निर्धारण मामले / मुकदमा के निपटारे के लिए आवश्यक है, और यह

> राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियमन या प्रावधान अमान्य या निष्क्रिय है, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, जिसके अधीन वह न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को निर्धारित करते हुए मामला / मुकदमा को निर्धारित करेगा और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए भेजेगा।"

उक्त धारा की भाषा से, प्रतिवादी के लिए माननीय अधिवक्ता का तर्क स्पष्ट रूप से सामने आता है। ट्रायल कोर्ट / निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, "मेरी यह राय है कि उक्त विनियमों को अमान्य या अवैध घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश देने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 113 के तहत कोई मामला नहीं बनाया गया है। "इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में इस अदालत द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जाती है। हालांकि, दोनों पक्षों के वकील इस बात पर सहमत हैं कि निचली अदालत को निर्देश दिया जाए कि यदि संभव हो तो आज से तीन महीने के भीतर मुकदमे का फैसला किया जाए । मुक़दमे की प्रकृति से, मैं पाता हूँ कि पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए बहुत अधिक सबूत की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सकता है। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत मुकदमे में पहले से मुकदमा की गई तारीख से तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करेगी - हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एच. एस. बी

आई एल आर पंजाब और हरियाणा (1981) 1 पेज 223-225
अशोक कुमार बनाम केंद्र शाषित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य (न्यायमूर्ति जे वी गुप्ता)

न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी के समक्ष

झाओ *लाल,-अपीलार्थी* /

बनाम

किशन लाल और *अन्य,*- प्रतिवादी /

नियमित दूसरी अपील सं. 1839 / 1968 ।

18 मार्च, 1980।

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (1882 का IV)-धारा 58-उपयोगितात्मक *बंधक* के *अधीन विशिष्ट क्षेत्र संख्या-कुछ अन्य अधिकार जैसे कि शामलत देह का हिस्सा विशेष* रूप से *शामिल नहीं है-ऐसे अधिकार-क्या कहा जा सकता है कि इसे बंधक में निहित रूप से शामिल किया गया है।*

अभिनिर्धारित किया गया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58 को पढ़ने से पता चलेगा कि एक बंधक अग्रिम धन के भुगतान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विशिष्ट अचल संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण है। सलाह के रूप में, बंधक के मामले में अचल संपत्ति के विनिर्देशों पर जोर देने में विधायिका का दोहरा उद्देश्य था (i) हस्तांतरण केवल एक प्रतिभूति के रूप में था और मालिक को वापस करने की संभावना थी, और (ii) प्रतिभूति की स्थिति में बंधकधारक द्वारा प्रतिभूति बनाए रखने की संभावना थी। इस मामले के दृष्टिकोण में संरचनात्मक बंधक की आसानी में जहां कब्जा भी पारित हो गया है, वहां निहित का कोई बंधक नहीं हो सकता है।

स्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

राजीव शर्मा
3I161G
ट्रांसलेटर